दीवानी वाद संख्या 27/2014
हनुमान बनाम मुराद
दिनांक 12-11-2025

वकील पक्षकारान उपस्थित। इस आदेश के द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 एवं 9 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का निस्तारण किया जा रहा है।

वादी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जाहिर किया गया कि प्रतिवादी संख्या 09 मेहता का निधन हो गया है, जो प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 मे वर्णित वारिसान छोडकर गया है, जिनको रिकार्ड पर लिया जावे।

जिसका जबाब प्रतिवादी मुराद की ओर से पेश हुआ है जिसमे यह कथन रहा है कि उक्त मेहता सम्पत्ति के संबंध मे जमाल का मुख्तयार आम नियुक्त था, जिसके जरिये कथित इकरारनामा किया जाना वादी ने बतलाया है। इसलिए उसके वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने की आवश्यकता नहीं है।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

मेहता प्रतिवादी संख्या 9 के रूप मे वाद मे संयोजित रहां है। वादी ने यह वाद बैनामा दिनांक 11-12-2007 को शून्य निरस्त करवाने के लिए तथा इकरारनामा दिनांक 13-11-2011 की विनिर्दिष्ट अनुपालना करवाने के लिए पेश किया है। कथित इकरारनामा बाबत बेचान दिनांक 13-11-11 की प्रति पत्रावली पर सलंग्न है, जिसका अवलोकन करने से जाहिर आता है कि उक्त मेहता पुत्र बेली जाति-चीता निवासी ग्राम सोमलपुर तहसील व जिला अजमेर बहैसियत मुख्तयार आम जमाल पुत्र बेली जाति-चीता निवासी ग्राम सोमलपुर अजमेर द्वारा हनुमान पुत्र बेली जाति-चीता, निवासी सोमलपुर तहसील व जिला अजमेर को बेचान बाबत करार किया जाना अंकित है। मुख्तयारनामा आम दिनांक 5-7-2001 की भी प्रति पत्रावली पर प्रस्तुत की गयी है जिसके द्वारा जमाल पुत्र बेली, उम्र-60 वर्ष, जाति-चीता हाल निवासी ग्राम सोमलपुर द्वारा मेहता पुत्र बेली आयु-45 वर्ष, जाति-चीता निवासी ग्राम सोमलपुर को कृषि भूमि खसरा नम्बर 854 रकबा 14 बिस्वांसी एवं खसरा नम्बर 830 कुल क्षेत्रफल 1 बीघा 10 बिस्वांसी के संबंध मे दिया गया हैं। उसी के बेचान बाबत करार रहा है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 9 मेहता, जमाल पुत्र बेली का मुख्तयारआम है, उसकी मृत्यु होने से उसके विधिक वारिसान पर कोई दायित्व हस्तान्तरित नहीं होते है । ऐसी स्थिति मे मेहता के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने की आवश्यकता नहीं है।

अतःउपरोक्त विवेचानुसार वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 एवं 9 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

12.11.25

विकास सिंह चौधरी
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
संख्या - 2, अजमेर